बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo–9/आ0–08–05/2022(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–...

डॉ० कर्मचन्द, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनगॉव, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरीक, भागलपुर के विरूद्ध दिनांक–07.06.1997 से 09.07.2002 तक एवं सिविल सर्जन, किशनगंज के पत्रांक–1004 दिनांक–17.07.2002 के अनुसार दिनांक–18.07.2002 से 02.09.2012 तक विभाग में योगदान नहीं करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०–557(9) दिनांक–12.07.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा डॉ० कर्मचन्द के विरूद्ध अनुबंध में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–1192(9) दिनांक–26.11.2024 द्वारा डॉ० कर्मचन्द से द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) की माँग की गयी।

3. डॉ० कर्मचन्द द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा (लिखित अभ्यावेदन) समर्पित करते हुए अवगत कराया गया है कि वे दिनांक–31.01.2021 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके है। समादेश याचिका सं०–12710/2008 में दिनांक–19.12.2016 को पारित आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–19.11.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय कार्यवाही का संचालन नहीं किया जाए। बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सेवानिवृत्त के 17 माह के उपरान्त विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन, सुपौल एवं किशनगज का गवाही नहीं लिया गया। विभागीय अधिसूचना सं०–1037(2) दिनांक–19.12.1996 के अनुपालन में सिविल सर्जन, सुपौल द्वारा डॉ० कर्मचन्द को जिले के रिक्त पद पर समायोजित नहीं किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार के पत्रांक–153 दिनांक–24.05.2000 के अनुपालन में डॉ० कर्मचन्द द्वारा अपने आवासीय स्थान का पता सिविल सर्जन, सुपौल को बताया गया था। सिविल सर्जन, सुपौल द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके विरूद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। उनके द्वारा दिनांक–18.07.2002 से 02.09.2012 तक की अवधि में विभागीय पदाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिल कर किसी जगह पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर को सम्यक् समीक्षा की गयी जिसमें डॉ० कर्मचन्द द्वारा अप्रासंगिक न्यायालयवाद में पारित आदेश का संदर्भ देते हुए विभागीय कार्यवाही नहीं चलाने का अनुरोध किया गया, जबकि सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक–659 दिनांक–05.07.2022 द्वारा प्रतिवेदित है कि डॉ० कर्मचन्द का योगदान की तिथि–07.06.1997 से लगातार कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहे है। सिविल सर्जन, किशनगज के पत्रांक–1004 दिनांक–17.07.2002 के अनुपालन में डॉ० कर्मचन्द द्वारा दिनांक–03.09.2012 को विभाग में योगदान किया गया। अतः डॉ० कर्मचन्द दिनांक–07.06.1997 से 09.07.2002 तक एवं 18.07.2002 से 02.09.2012 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है। फलतः उक्त अवधि मे अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप मे बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(क) के अधीन अधिसूचना निर्गत की तिथि से 50% (पचास) प्रतिशत पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने की शास्ति अधिरोपित करने एवं अनुपस्थिति अवधि यथा दिनांक–07.06.1997 से 09.07.2002 तक एवं 18.07.2002 से 02.09.2012 तक का कार्य नहीं तो वेतन नहीं एवं किसी भी प्रयोजन के लिए गणना नही करने का विनिश्चय किया गया।

1/08/2025

(15)

5. विभागीय पत्रांक–397(9) दिनांक–28.04.2025 के द्वारा उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2047 दिनांक–07.08.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

6. अतएव डॉ० कर्मचन्द, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनगॉव, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरीक, भागलपुर के विरूद्ध दिनांक–07.06.1997 से 09.07.2002 तक एवं दिनांक–18.07.2002 से 02.09.2012 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(क) के अधीन अधिसूचना निर्गत की तिथि से 50% (पचास) प्रतिशत पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने की शास्ति अधिरोपित करने एवं अनुपस्थिति अवधि यथा दिनांक–07.06.1997 से 09.07.2002 तक एवं दिनांक–18.07.2002 से 02.09.2012 तक का कार्य नहीं तो वेतन नहीं एवं उक्त अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए गणना नहीं करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–08–05/2022(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–08–05/2022(स्वा0) 980(9) **/पटना, दिनांकः–** 20.8.25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये कोशी प्रमंडल, सहरसा, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ एवं भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/सिविल सर्जन, सुपौल, भागलपुर एवं किशनगंज/जिला पदाधिकारी, सुपौल, भागलपुर एवं किशनगंज/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल, भागलपुर एवं किशनगंज/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० कर्मचन्द, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनगॉव, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरीक, भागलपुर स्थायी पता–ग्राम–इन्दुपुर, पो०–बरहिया, जिला– लखीसराय–811302 को सूचनार्थ एवं आवश्यंक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/8/2025

सरकार के अवर सचिव।